

(13)

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-0-

// अधिसूचना //

नया रायपुर दिनांक 03/09/2015

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/6 :: छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के नियम 3.15 के तहत राज्य शासन एतद् द्वारा अध्याय-चार के परिशिष्ट-1 के क्रमांक 02 (अ) की सारणी में सरल क्रमांक 5 के कॉलम--(2) में सरल क्रमांक 7--"डिस्पेंसरी (अधिकतम 0.5 एकड़)" के पश्चात् "8--विद्युत उपकेन्द्र (छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को) अधिकतम 0.5 एकड़" समाविष्ट करता है। सरल क्रमांक 5 के शेष कॉलम (3), (4) एवं (5) की प्रविष्टियां पूर्ववत् रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


31/9/15

(श्रीमती शारदा वर्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

0/C